झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

संकल्प

विषयः आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7वें फेज में Integrated Industrial Estate 233.38 एकड़ (दो सौ तैंतीस एकड़ अड़तीस डिसिमील) क्षेत्र में विकसित करने एवं उसमें 82.49 एकड़ (बेयासी एकड़ उन्नचास डिसमील) क्षेत्र में Electronic Manufacturing Cluster (EMC) की स्थापना करने हेतु कुल रू0 185.59 करोड़ (एक सौ पचासी करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति के साथ रू0 59.99 करोड़ (उनसठ करोड़ निन्यान्बे लाख रूपये) मात्र राज्यांश अनुदान की स्वीकृति।

भारत सरकार के संचार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक 36(7)/2015–1 PHW (Vol-II) दिनांक 22.09.2015 के आलोक में सरायकेला–खरसांवा अन्तर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज–7 में Integrated Industrial Estate 233.38 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने एवं उसमें 82.49 एकड़ क्षेत्र में Make in Jharkhand प्रयास को प्रोत्साहित करने हेतु Electronic Manufacturing Cluster (EMC) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Jharkhand Infrastructural Development Corporation (JINFRA) द्वारा तैयार मास्टर प्लान के अनुसार सामेकित औद्योगिक इस्टेट के विभिन्न कार्यकलापों के लिए निम्न विवरणी के अनुसार भूमि चिन्हित किया गया है :–

Sl No.	Nature of Industries/ Cluster/Infrastructure	Area (in Acre)	Present Status of Area
1	For Electronic Manufacturing Cluster (EMC)	82.49	Under the EMC Scheme of GOI, the DeitY of GOI sanctioned Rs. 41.48 Crs. SPV formed and tender for development of internal infrastructure as per GOI sanction already issued
2	Industrial Usage	66.64	Notification for allotment of land in three stages aggregating to 52.90 acres issued.
3.	For STPI	3.50	Allotted
4	For I. T. Park	15.48	Approved by AIADA Board. Notification issued.
5.	For Multi-Speciality Hospital	6.01	Notification issued.
6.	Peripheral Roads	24.90	Tender for External Infrastructure ready
7.	Transportation Facilities	2.16	Tender for External infrastructure ready
8.	Green & Open Space	4.24	--
9.	Utilities	10.98	Power Substation, water severor, WTP & ETP.
10.	Institutional/Commercial	16.98	Notification to be issued.
	Total	**233.38**	

(दो सौ तैंतीस एकड़ अड़तीस डिसमील)

2. कुल 233.38 एकड़ (दो सौ तैंतीस एकड़ अड़तीस डिसमील) भूमि में से उपर्युक्त सारणी के अनुसार 82.49 एकड़ (बेयासी एकड़ उन्नचास डिसमील) भूमि ग्रीन फिल्ड Electronic Manufacturing Cluster के लिए सुरक्षित रहेगा ताकि भारत सरकार के **अधिसूचना संख्या 252 दिनांक 22 अक्टूबर 2012** द्वारा घोषित Electronic Manufacturing Cluster योजना का लाभ लिया जा सके तथा विश्व स्तरीय मूलभूत संरचना Electronic System Design Manufacturing Sector को उपलब्ध कराया जा सके। उक्त 82.49 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन फिल्ड Electronic Manufacturing Cluster के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं यथा – औद्योगिक विस्तार, Solid Waste Treatment Plant, I.T. Park, Multi Speciality Hospital तथा Backward एवं Forward Linkage की सुविधा देने हेतु समेकित 233.38 एकड़ भूमि में रू0 139.82 करोड़ (एक सौ उनतालीस करोड़ बेयासी लाख रूपये) मात्र का JINFRA द्वारा तैयार DPR पर भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DEitY) के पत्रांक 36(7)/2015IPHW(Vol-II) दिनांक 22.09.2015 द्वारा 82.49 एकड़ में रू0 97.88 करोड़ (सनतान्बे करोड़ अठासी लाख रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति दी गयी है। बाह्य संरचना के लिए भारत सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। योजना स्वीकृति के साथ–साथ DeitY द्वारा रू0 41.48 करोड़ (एकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) मात्र का अनुदान निम्न प्रकार स्वीकृत किया गया है :–

#	Parameter	Area (in Acres)	Project Cost (Rs. In Crores)	Grant-in-aid(From GoI) (Rs. In Crores)
1	Processing Area	77.01	72.53	36.27
2.	Non Processing Area	5.48	22.50	4.50
3.	Admin Expenses	-	2.85	0.71
	Total	82.49	97.88	41.48

3. इस योजना की वित्तीय उपलब्धता इस प्रकार होगी :–

#	Funding Sources	Amount (Rs. In Crores)
1	Grant-in-aid from GoI	41.48
2.	Contribution from Cluster enterprises/units	24.50
3.	AIADA Internal Accruals	22.00
4.	PP Funding	9.90
	Total	**97.88**

4. उपरोक्त योजना की स्वीकृति में DEitY द्वारा दिए गए शर्तों के अनुरूप Electronic Manufacturing Cluster के संचालन हेतु SPV (Special Purpose Vehicle) का गठन "Adityapur Electronic Manufacturing Cluster Ltd." के नाम से कम्पनी निबंधन एक्ट के तहत किया जा चुका है। DEitY के शर्तों के अनुरूप SPV को 33.61 एकड़ भूमि झारखण्ड औद्योगिक

क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) द्वारा हस्तांतरण किया जाएगा, जिसमें निम्नवत संरचना तैयार की जाएगी :-

1	Ware House Truck Parking	2.00 Acres
2.	School/Creche	0.25 Acres
3.	Hospital/Health Centre	0.25 Acres
4.	Testing, Certification and Incubation Centre	0.59 Acres
5.	Administrative & Support Services	0.38 Acres
6.	Employee Hostel & Mess	0.59 Acres
7.	Trade Pavilions	0.78 Acres
8.	Local Shopping and Restaurants	0.63 Acres
9.	Green Area	8.35 Acres
10	Roads	14.79 Acres
11.	Flatted Factory (having a constructed area of 200264 Sq Feet)	5.00 Acres
	Total	33.61 Acres

5. भारत सरकार के Electronic Manufacturing Cluster योजना के अनुसार "Adityapur Electronic Manufacturing Cluster Ltd." कम्पनी में 51 प्रतिशत Equity धारक SPV (Special Purpose Vehicle) के सदस्य होंगे तथा कोई भी एक सदस्य 25 प्रतिशत से अधिक equity धारक नहीं होंगे। साथ ही इस SPV के Board of Director में कम से कम 07 (सात) अंशधारक (equity holder) होंगे।

6. SPV का कार्य क्षेत्र 33.61 एकड़ तक ही सिमित होगा, परन्तु EMC के SPV में निवेशकों को हिस्सा पूंजी के लिए आकर्षित करने हेतु अवशेष 82.49−33.61=48.88 एकड़ भूमि के ⅔ भाग में, Equity धारकों के लिए रिजर्व कीमत पर भूमि आवंटित की जाएगी तथा **इसके अवशेष ⅓ भाग एवं शेष बाह्य संरचना की भूमि को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) आदित्यपुर प्रक्षेत्र/जियाडा के विनियमन (Regulation) के अनुसार आवंटन की जा सकेगी।**

7. भारत सरकार के EMC कलस्टर योजना के अनुसार 82.49 एकड़ भूमि से 33.61 एकड़ भूमि को "Adityapur Electronic Manufacturing Cluster Ltd." के नाम मूलभूत संरचना एवं सहायता हेतु हस्तांतरित किया जाएगा। जियाडा बोर्ड द्वारा 33.61 एकड़ भूमि SPV को हस्तांतरण का निर्णय लिया जा चुका है जिसका अद्यतन मूल्य रू0 27.72 करोड़ (सत्ताईस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र निबंधन शुल्क सहित होगी।

8. हस्तांतरण हेतु SPV को रू0 27.72 करोड़ (सत्ताईस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र भुगतान जियाड़ा द्वारा किया जाएगा। चूँकि आदित्यपुर Electronic Manufacturing Cluster Ltd. के SPV को तत्काल किसी प्रकार की आय का स्त्रोत नहीं है। अतः जियाडा आदित्यपुर प्रक्षेत्र द्वारा स्थानांतरण किए जानेवाली भूमि जिसकी लागत रू0 27.72 करोड़ (सत्ताईस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र है भुगतान करने में SPV सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि SPV को भूमि निःशुल्क स्थानांतरण किया जाएगा तथा पाँच साल का सुशुप्त काल में रखते हुए अगले पाँच साल में SPV 10 बराबर किस्तों में (ब्याज रहित) भूमि का मूल्य जियाडा आदित्यपुर प्रक्षेत्र को भुगतान करेगा।

9. DEitY द्वारा यह योजना GoJ 2014 के Schedule of Rate पर बनायी गयी थी, परन्तु वर्ष 2016 में नई Schedule of Rate (SOR) जारी हो जाने के कारण दर पुनरीक्षित किये जाने पर रू0 152.50 करोड़ (एक सौ बावन करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र हो गयी है जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिडको द्वारा दी गयी है।

10. इस योजना के संचालन हेतु एक Programme Management Consultancy (PMC) की नियुक्ति की जायेगी तथा परियोजना लागत के अनुसार एवं योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 3201 दिनांक 04.11.2016 के आलोक में रू0 5.37 करोड़ (पाँच करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र परियोजना लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

11. योजना की परियोजना लागत रू0 152.50 करोड़ (एक सौ बावन करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र में भूमि की लागत रू0 27.72 करोड़ (सत्ताईस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र एवं Programme Management Consultancy (PMC) लागत रू0 5.37 करोड़ (पाँच करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप यह राशि रू0 185.59 करोड़ (एक सौ पचासी करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र हो जाएगी, जो निम्न विवरणी से स्वतः स्पष्ट है :

Sl.No.	ITEMS	(Rs. In Crs.)	(Rs. In Crs.)
1	Total Project Cost As approved by JIIDCO		152.50
1.1	Add: Cost of 33.610 Acres land	25.90	
	(Rs. 77,07,218 per acre)		
1.2	Add: Registration Cost @7%	1.81	27.72
1.3	Add: Project Monitoring Consultancy Charges as per Finance Department		5.37
		Total	185.59

(एक सौ पचासी करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र

12. उपर्युक्त रू0 185.59 करोड़ राशि में से विभिन्न स्त्रोतों से जो राशि प्राप्त होगी, वह इस प्रकार है :–

Sl. No.	Funding as approved under EMC by GoI	(Rs. In Crs.)
1	Grant from GOI under EMC Scheme	41.48
	(as per Sanction Letter)	
2	Contribution from EMC Cluster Units	24.50
	(as per Sanction letter of GOI)	
3	AIADA contribution under EMC	22.00
	(as per Sanction letter of GOI)	
4	PP Funding	9.90
	Total	**97.88**
5	Deferred and installment payment of land cost to AIADA (now a part of JIADA) (Proposed)	27.72
	Total	**125.60**
Estimated Project Cost		185.59
Gap/ Balance Fund Required		**59.99**

(उनसठ करोड़ निन्यान्बे लाख रूपये) मात्र

उपर्युक्त रू0 185.59 करोड़ (एक सौ पचासी करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र राशि Electronic Manufacturing Cluster एवं इसके बाहरी मूलभूत संरचना के निर्माण में रू0 125.60 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की व्यवस्था आयडा एवं Electronic Manufacturing Cluster Ltd. द्वारा की जाएगी परन्तु शेष राशि रू0 59.99 करोड़ (उनसठ करोड़ निन्यान्बे लाख रूपये) मात्र की कमी की भरपाई आयड़ा को जियाडा के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

13. झारखण्ड में इस तरह की प्रथम योजना अर्थात Electronic Manufacturing Cluster के साथ–साथ अन्य सेक्टरों को भी समेकित रूप से विकसित किया जायेगा, जहाँ Electronic Manufacturing Cluster क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा, एवं एक ही कैम्पस में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के निर्माण के साथ मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

14. अतः आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7वें फेज में समेकित औद्योगिक स्टेट निर्माण के रू0 185.59 करोड़ (एक सौ पचासी करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र योजना की स्वीकृति के साथ, कमी होने वाली राशि रू0 59.99 करोड़ (उनसठ करोड़ निन्यान्बे लाख रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।

15. उक्त राशि रू0 59.99 करोड़ (उनसठ करोड़ निन्यान्बे लाख रूपये) मात्र मुख्य शीर्ष –2851– लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग–61–लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना–06– अनुदान–78–

पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान जिसका विपत्र कोड–**23S285100102610678** है, से विकलित होगा।

16. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से कर आदित्यपुर इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर के निर्माण हेतु राशि जियाडा के माध्यम से जियाडा आदित्यपुर प्रक्षेत्र को उपलब्ध करा देंगे।

यह योजना उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के संलेख ज्ञापांक 2640 दिनांक 18.09.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.09.2017 की बैठक में मद संख्या 20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

17. उक्त योजना संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होगा।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

5/10/17

सरकार के सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 3573 04/उ0नि0/कलस्टर–37/2017 /राँची, दिनांक 06/10/2017

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ई–गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

5/10/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 3573 04/उ0नि0/कलस्टर–37/2017 /राँची, दिनांक 06/10/2017

प्रतिलिपि:–महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) राँची प्रक्षेत्र, राँची/प्रक्षेत्र, बोकारो, प्रक्षेत्र, आदित्यपुर एवं प्रक्षेत्र, दुमका/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/10/17

सरकार के सचिव